अनुदान संख्या 81 – भू-संसाधन विभाग
GRANT No. 81–DEPARTMENT OF LAND RESOURCES

		कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	अधिक व्यय+ Excess+ बचत- Saving–
				(हजार रुपयों में) (In thousands of rupees)
राजस्व:	**Revenue:**			
स्वीकृत-	Voted–	1264,48,00	1013,58,82	–250,89,18
वर्ष के दौरान अभ्यर्पित राशि	Amount surrendered during the year			250,85,92

टीका और टिप्पणियां

1. अनुदान में, बचतें/अधिक व्यय निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत हुईं/हुआ:-

Notes and comments

1. In the grant, savings/excess occurred under the following major heads:-

(लाख रुपयों में)
(In lakhs of rupees)

शीर्ष	Head				
मुख्य शीर्ष "2501" ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	Major Head "2501" Special Programmes for Rural Development				
मू.	O.	106900.00	92341.63	92345.58	+3.95
पु.	R.	–14558.37			
मुख्य शीर्ष "2552" उत्तर पूर्वी क्षेत्र	Major Head "2552" North Eastern Areas				
मू.	O.	12600.00	. .	. .	. .
पु.	R.	–12600.00			
मुख्य शीर्ष "3601" राज्य सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3601" Grants-in-aid to State Governments				
मू.	O.	6350.00	8697.04	8696.07	–0.97
पु.	R.	2347.04			

शीर्ष	Head	कुल अनुदान Total grant	वास्तविक व्यय Actual expenditure	बचत- Saving–
				(लाख रुपयों में) (In lakhs of rupees)
मुख्य शीर्ष "3602" संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों को सहायता अनुदान	Major Head "3602" Grants-in-aid to Union Territory Governments			
मू.	O.	150.00		
			. .	. .
पु.	R.	–150.00		

(I) 33937.00 लाख रु. का प्रावधान ग्यारह शीर्षों के अंतर्गत पूर्णतया अप्रयुक्त रहा; जिसमें से 33650.00 लाख रु. निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत लेखाबद्ध किए गए :-

(का) मुख्य शीर्ष "2501" - "बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - अन्य व्यय" -

(क) "प्रधान मंत्री ग्राम जल संवर्धन योजना" - 20000.00 लाख रु.; तथा

(ख) "बायो - ईधन स्कीम" - 900.00 लाख रु.।

उपर्युक्त दो शीर्षों के अंतर्गत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को अंतिम रूप न दिए जाने और योजना आयोग द्वारा नई स्कीम को स्वीकृति न दिए जाने के कारण प्रावधान अप्रयुक्त रहा।

(खा) मुख्य शीर्ष "2552" - "अन्य व्यय - पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों के लिए प्रावधान"- 12600.00 लाख रु. पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं/स्कीमों पर व्यय को कार्यात्मक शीर्षों से पूरा करने के लिए पुनर्विनियोग द्वारा निधियों का आंशिक उपयोग किए जाने तथा शेष निधियों का अभ्यर्पण किए जाने के कारण थे।

(गा) मुख्य शीर्ष "3602" - "केंद्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान - भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व और भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण" - 150.00 लाख रु. निधियां जारी करने के लिए प्रस्ताव की प्राप्ति न होने के कारण थे।

(I) Provision of Rs.33937.00 lakhs remained wholly unutilised under eleven heads; of these Rs.33650.00 lakhs accounted for under the following major heads:-

(A) Major Head "2501"- "Wasteland Development - Other Expenditure" -

(a) "Pradhan Mantri Gram Jal Samvardhan Yojana"- Rs.20000.00 lakhs; and

(b) "Bio-Fuels Scheme" – Rs.900.00 lakhs.

Provisions under the above two heads remained unutilised due to non-finalisation of Detailed Project Report and clearance of new scheme by Planning Commission.

(B) Major Head "2552" – "Other Expenditure–Provision for Projects/Schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim" – Rs.12600.00 lakhs – due to utilisation of part funds by re-appropriation to functional heads for meeting expenditure on Projects/Schemes for the benefits of North Eastern Region and Sikkim and surrender of remaining funds.

(C) Major Head "3602" – "Grants for Central Plan Schemes - Land Reforms- Other Grants-Modernisation of Revenue and Land Administration" – Rs.150.00 lakhs - due to non-receipt of proposal for release of funds.

(II) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास बोर्ड'' के अंतर्गत 154.25 लाख रु. की बचत (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) निधि जारी किए जाने के लिए कम प्रस्तावों के प्राप्त किए जाने के कारण हुई।

(III) एक शीर्ष के अंतर्गत 53.53 लाख रु. की बचत हुई जो स्वीकृत प्रावधान का 15 प्रतिशत थी।

2. उपर्युक्त बचतें निम्नलिखित मुख्य शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय द्वारा आंशिक रूप से प्रतिसंतुलित हो गईं :-

(I) मुख्य शीर्ष ''2501'' - ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम - एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम'' - 6419.42 लाख रु. का अधिक व्यय (33200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(II) मुख्य शीर्ष ''3601'' - ''केन्द्रीय योजना स्कीमों के लिए अनुदान'' -

(का) ''भूमि सुधार - अन्य अनुदान - राजस्व तथा भूमि प्रशासन का आधुनिकीकरण'' - 554.61 लाख रु. का अधिक व्यय (5950.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई;

(खा) ''बंजर भूमि विकास - राष्ट्रीय बंजर भूमि विकास कार्यक्रम''-

(क) ''एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम'' - 1726.96 लाख रु. का अधिक व्यय (100.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुई; और

(ख) ''तकनीकी विकास विस्तार तथा प्रशिक्षण'' - 156.50 लाख रु. का अधिक व्यय (200.00 लाख रु. के स्वीकृत प्रावधान की तुलना में) हुआ।

उपर्युक्त चार शीर्षों के अंतर्गत अधिक व्यय विभिन्न कार्यान्वयन अभिकरणों से निधियां जारी किए जाने संबंधी अधिक प्रस्तावों के प्राप्त किए जाने और पूर्वोत्तर क्षेत्र तथा सिक्किम के लाभ से संबंधित परियोजनाओं /स्कीमों पर उपयोग के लिए निधियों की अतिरिक्त आवश्यकता होने के कारण भी हुआ।

(II) Under Major Head "2501" – "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme - National Waste Land Development Board" – saving of Rs.154.25 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs) was due to receipt of less proposals for release of fund.

(III) Under one head saving of Rs.53.53 lakhs occurred constituting 15 percent of the sanctioned provision.

2. The above savings were partly offset by excess under the following major heads:-

(I) Major Head "2501" – "Wasteland Development – National Wasteland Development Programme - Integrated Wasteland Development Programme" - excess of Rs.6419.42 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.33200.00 lakhs);

(II) Major Head "3601" – "Grants for Central Plan Schemes" -

(A) "Land Reforms – Other Grants – Modernisation of Revenue and Land Administration" – excess of Rs.554.61 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.5950.00 lakhs);

(B) "Waste Land Development – National Waste Land Development Programme" -

(a) "Integated Wastelands Development Programme"- excess of Rs.1726.96 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.100.00 lakhs); and

(b) "Technology Development Extension and Training – excess of Rs.156.50 lakhs (against the sanctioned provision of Rs.200.00 lakhs).

Excess under the above four heads was due to receipt of more proposals for release of funds from various implementing agencies and also on account of additional requirement of funds for utilisation on projects/schemes for the benefit of North Eastern Region and Sikkim.